प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही एक पक्षीय कार्यावाही।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट. व धारा 136 आर. एल.आर.एक्ट.

– निर्णय – दिंनाक – 27.1.21

स प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम
ा की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 49 बीघा 7 बीस्वा भूमि
एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की पुस्तेनी व कब्जा काश्त की भूमि आई
। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की
भूमि थी जो पूर्व खातेदार हेमला पुत्र श्री गंगा व अलिया पुत्र श्री जेठा के
ी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थी जो जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024
ट अंकित है । उक्त भूमि के अलिया फौत होने पर उनके वारिसान वादीगण
न दर्ज नही करके तत्कालीन हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से नाम दर्ज
समय प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के पूर्वजो के नाम अंकित कर दिये
ी वल्दियत भी गलत अंकित की गई जो आज दिन भी राजस्व रेकर्ड मे
त चले आ रहे है । जब कि उक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 5 से
का कोई कब्जा काश्त नही है और न ही कभी था इसलिए वादीगण
दीगण संख्या 5 से 12 के नाम राजस्व रेकर्ड मे हटवा कर वादीगण अपने
दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादग्रस्त भूमि के जमाबन्दी सम्वत 2021 से
के अनुसार वादीगण के पूर्वज अलिया का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादीगण
1 से 4 के पूर्वज हेमला का 1/2 हिस्सा है । आज दिन भी वादीगण 1/2
पर एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्से की भूमि के मौके पर
ज है । प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 का वादग्रस्त भूमि मे कोई कब्जा काश्त
है । वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि
जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के स्थान पर वादीगण अपना 1/2 हिस्सा
त करवा कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाने के अधिकारी है
दग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसमे केवल मात्र
स्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण
ीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर बेचान फरोक्त करने की धमकीया दे रहे
जब कि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है । वादग्रस्त भूमि
युक्त खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि है जिसमे वादीगण का अपने 1/2 हिस्से

Scanned with CamScanner

पर शांन्ति पूर्वक कब्जा काष्त होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादीगण बनता है यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो मे नही की जा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष मे बनता है । अन्त मे वादीगण म खबाणिया के खसरा नम्बर 45 रकबा 49 बीघा 7 बीस्वा भूमि के राजस्व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के नाम डिलीट किये जाकर उनके स्थान पर को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किया जाकर बाई मीट्स एण्ड से विभाजन किये जाने का निवेदन किया एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही कि भूमि मे वादीगण के हक हिस्से की विभाजित भूमि मे प्रतिवादीगण किसी ी दखलन्दाजी नही करे , वादीगण को बेदखल नही करे और न ही किसी करावे।

दी का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन कया गया प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त हुए जो सामिल मिसल ये । प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही किसी ा ने वकालातनामा पेष किया और न ही उक्त वाद का खण्डन किया है प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । वादीगण की साक्ष्य त्र ली गई तथा गवाह पी. डब्ल्यू –1 गोपाराम, पी.डब्ल्यू 2– चूनाराम, पी. –3 पेमाराम पी डब्ल्यू –4 राजुराम , पी डब्ल्यू –5 मूलाराम का परीक्षित गया व दस्तावेज प्रदर्षित करवाये गये ।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक कन किया एवं वकील अधिवक्ता की लिखत बहस व राजस्व रेकर्ड का कन किया । वाद पत्र मे वादीगण द्वारा बताये गये हक हिस्से के अनुसार ण को ग्राम खबाणिया के खसरा नम्बर 45 रकबा 49 बीघा 7 बीस्वा भूमि के रेकर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के नाम डिलीट किये जाकर उनके पर वादीगण को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित जाना उचित प्रतित होता है वादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किया जाना उचित प्रतीत है इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । राजस्व रेकर्ड मे बन्टवारा के तहत विभाजन करवाना चाहते है ।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम णिया के खसरा नम्बर 45 रकबा 49 बीघा 7 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 5 से 12 के नाम डिलीट किये जाकर उनके स्थान पर वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किया किया जाता है तथा राजस्व रेकर्ड मे स दरामद किया जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से रास्ता रखते हुए विभाजन ा जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के हक हिस्से की विभाजित भूमि तिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे । तहसीलदार औसिया के ारा प्रस्ताव के अनुसार तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो ।

Scanned with CamScanner